Practical Guidance for Market Participants in the Gold and Precious Metals Industry

Version 1 - April, 2012

Sponsored By

यह पुस्तिका डीएमसीसी द्वारा प्रकाशित Practical Guidance for Market Participants in the Gold and Precious Metals Industry, version 1, का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारियों तथा संदर्भ के लिये ओरिजनल डॉक्युमेंट का अध्ययन करे।

DMCC
DUBAI MULTI COMMODITIES CENTRE
Government of Dubai

विषय– सूची

प्रस्तावना 1

दळ्ज्भ १ 3-6
–कंपनी द्वारा मजबूत सप्लाई चेन प्रबंध प्रणाली की स्थापना

दळ्ज्भ २ 6-10
–सप्लाई चेन से संबद्ध रिस्क की पहचान एवं उनका आं–कलन

दळ्ज्भ ३ 11-12
–रिस्क कम/नियंत्रित करने की योजना का निर्माण तथा कार्यान्वयन (इम्प्लिमेंटेंशन)

दळ्ज्भ ४ 12-13
–सोने व अन्य धातुओं पर कंपनी द्वारा की जा रही ड्यु–डिलिजेंस प्रैक्टिस की तीसरे पक्ष द्वारा स्वतंत्र ऑडिट

दळ्ज्भ ५ 13
–सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस की सालाना रिपोर्टिंग

उद्देश्य व सारांश

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) मे सोने तथा अन्य बहुमूल्य धातु उद्योग के अंतर्गत विवादित या संघर्ष प्रभावित (कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन) तथा अतिक्षतिमय क्षेत्र (हाई रिस्क एरिया) से आपूर्ति किये गये धातुओं की ड्यु–डिलिजेंस तथा संबंधित रिस्क–मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के विकास हेतु ओईसीडी के गाइडलाईन "रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट" का प्रतिपादन करने के लिये डीएमसीसी ने अपने लायसेंसी तथा गैर लायसेंसी सदस्यों की सहायता हेतु यह प्रैक्टिकल गाइडेंस जारी की है।

यह मार्गदर्शिका/गाइडेंस सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला के सभी प्रतिभागियों के लिये कदम दर कदम समान निर्देश प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सोने व बहुमूल्य धातुओं का स्त्रोत तथा इनकी कॅस्टडी जिम्मेदार हाथों मे रही है, तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया मे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से किसी संघर्ष या विवाद का समर्थन नही किया गया है।

विषय क्षेत्र

सोने तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं का व्यापार करने वाले सभी डीएमसीसी सदस्यों तथा गैर सदस्यों को इस गाइडेंस का पालन करना जरुरी है, इसमे ओईसीडी के द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन प्रबंध के निर्देशों को शामिल किया गया है।

संदर्भ

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (Final Draft Supplement on Gold)

अनुमानित जोखिमो (रिस्क–बेस) पर आधारित सोने तथा बहुमूल्य धातुओं की सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस प्रारूप के ५ कदम

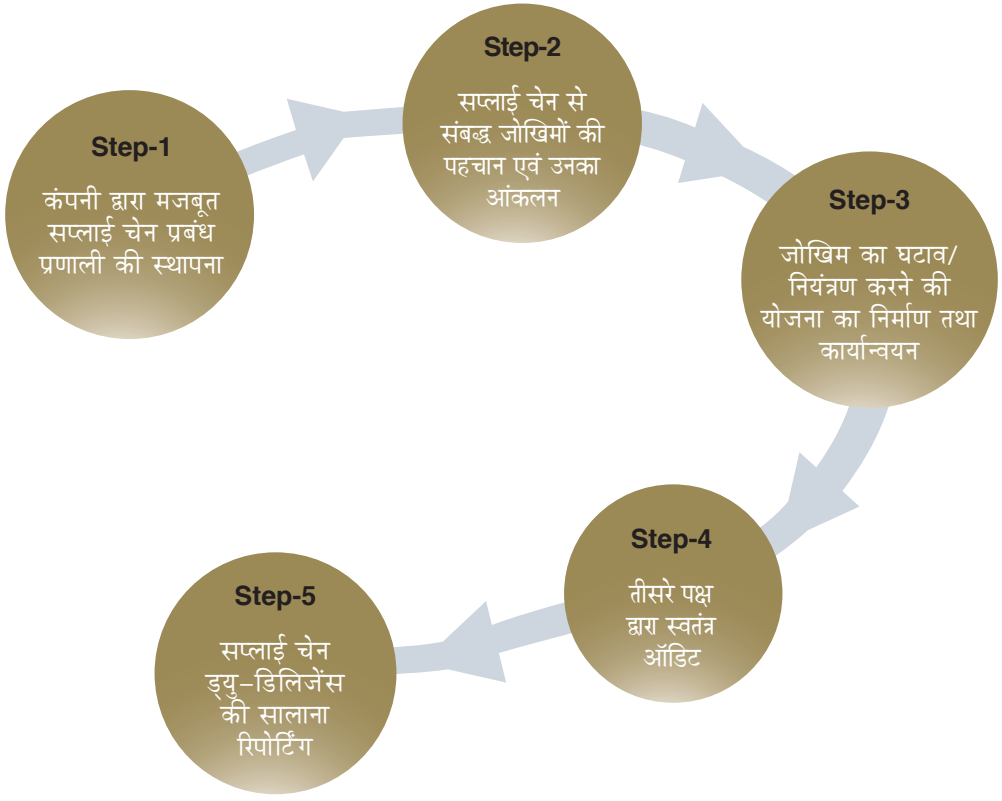

Step-1: कंपनी द्वारा मजबूत सप्लाई चेन प्रबंध प्रणाली की स्थापना

उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं के सप्लाई चेन पर की जाने वाली ड्यु–डिलिजेंस तथा उसका मैनेजमेंट स्वयं की कंपनी की सप्लाई चेन के प्रभावी ड्यु–डिलिजेंस के लिये उपयुक्त है।

1. आम सिद्धांतों, मानकों तथा प्रक्रियाओं से समन्वित रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन की नीति व प्रक्रिया का विकास करना। जिनमे निम्नलिखित बिंदुयें शामिल होनी चाहिये:

    a. विषय क्षेत्र
    b. उत्तरदायित्व या जवाबदेही का निर्धारण
    c. सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस का मानदंड
    d. ग्राहक पहचान (केवॉयसी) प्रक्रिया के प्रमुख तत्व
    e. जांच व चौकसी (मॉनिटरिंग)
    f. प्रशिक्षण/ट्रेनिंग

2. क्वालिफॉइड कम्प्लायंस या जोखिम अधिकारी (सप्लाई चेन ऑफिसर) की नियुक्ति जिसकी शर्तें निम्न है:

    a. सीनियर स्टाफ मेंबर
    b. सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस मे प्रशिक्षित, प्रक्रिया का जानकार, अनुभवी तथा योग्य
    c. संबद्ध कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित
    d. अतिमहत्वपूर्ण तथा नाजुक जानकारियों को उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सप्लायरों तक कम्युनिकेट करने मे सक्षम

    कम्प्लायंस या जोखिम अधिकारी (सप्लाई चेन ऑफिसर) के मुख्य कर्तव्य (रिस्पॉन्सिबिलिटी) निम्न है:

    a. सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं की सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस की समीक्षा/रिव्यु करना
    b. सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस की प्रक्रिया निर्धारित करना
    c. अतिरिक्त उपायों/युक्तियों, यदि आवश्यक हो, का ड्यु–डिलिजेंस प्रक्रिया मे शामिल करना
    d. रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना
    e. सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस की नीतियों तथा संबंधित प्रक्रियाओं को अपडेट करना

3. रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस के आंतरिक दस्तावेज (इंटरनल डॉक्युमेंट) तथा रिकार्ड तैयार करना जिसमे आंतरिक स्टॉक (इन्वेन्टरी) तथा लेन–देन संबंधी डॉक्युमेंट शामिल हो, निम्न प्रकार से होनी चाहिये:

a. सोने तथा बहुमूल्य धातुओं का भौतिक स्वरुप, प्रकार तथा भौतिक विवरण जिसमे चिन्ह या हॉलमार्क हो
b. समुचित रुप से स्वयं तथा/या तीसरे पक्ष द्वारा वेरीफिकेशन के बाद सोने तथा बहुमूल्य धातुओं का वजन तथा उसकी परख
c. सभी आपूर्तिकर्ताओं के ग्राहक पहचान (केवॉयसी) तथा उन सप्लायरों द्वारा किये जा रहे ड्यु–डिलिजेंस प्रक्रिया का ड्यु–डिलिजेंस तथा कंपनी की नीति तथा डीएमसीसी व्यवहारिक मार्गदर्शी (प्रैक्टिकल गायडेंस) के अनुरुप है या नही का मिलान। ग्राहक पहचान पत्र (केवॉयसी) मे सप्लायरों तथा उनके स्थान की जानकारी निहित होनी चाहिये।
d. प्रत्येक आवकों/इनपुट तथा जावकों/आउटपुट की विशिष्ट पहचान संख्या
e. रिफायनरियों, उत्पादकों, निर्माताओं के नाम, मुद्रा तथा प्रतीक चिन्ह (यदि लागू हो)
f. रिफायनिंग/उत्पादन का वर्ष (यदि लागू हो)
g. खरीद तथा बिक्री की तारीख
h. सप्लायरों के अनुसार वर्गीकृत स्टॉक सूची (इन्वेन्टरी लिस्ट)
i. सभी दस्तावेज/डॉक्युमेंट कम से कम पांच साल तक रखें
j. खरीदे गये मालों मे से चिन्हित उत्पाद को ट्रैक कर पाने व्यवस्था

'खोज तथा पहचान' (ट्रैक व ट्रेस) इस प्रकार से होनी चाहिये:

i. परिवहन/शिपिंग दस्तावेज प्राप्त करना
ii. विशिष्ट समूह संख्या (लॉट) के साथ बिक्री दस्तावेज/सेल्स डॉक्युमेंट
iii. माइनिंग लाइसेंस तथा अन्य संबंधित आज्ञा पत्र
iv. आयात/निर्यात लाइसेंस व फॉर्म
v. सभी डॉक्युमेंटो का मिलान

4. सप्लायरों के साथ निम्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत पक्के संबंध की स्थापना:

a. सप्लायरों के ग्राहक पहचान (केवॉयसी) ड्यु–डिलिजेंस तथा उनके द्वारा किये जा रहे ड्यु–डिलिजेंस प्रक्रिया की समीक्षा
b. लॉन्ग–टर्म व्यापारिक संबंध
c. डीएमसीसी व्यवहारिक मार्गदर्शन (प्रैक्टिकल गायडेंस) को सप्लायर से शेयर करना तथा उसकी पावती (एक्नॉलेजमेंट) व अनुपालन की सहमति प्राप्त करना

d. सप्लायरों के साथ कॉन्ट्रेक्ट तथा/या एग्रीमेंट व ग्राहक पहचान पत्र (केवॉयसी) मे डीएमसीसी व्यवहारिक मार्गदर्शन (प्रैक्टिकल गाइडेंस) के प्रोविजनों का समावेश करना
e. अपनी कंपनी के रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन की नीति तथा प्रक्रिया के साथ ही डीएमसीसी व्यवहारिक मार्गदर्शन (प्रैक्टिकल गाइडेंस) के अनुपालन/कम्प्लायंस को सुनिश्चित करने के लिये, यदि आवश्यक हो तो, सप्लायर को काबिल या सक्षम बनाने (कैपेसिटी बिल्डिंग) मे सहायता प्रदान करना
यदि सप्लायर इस संबंध मे पर्याप्त रुचि नही दिखाता है तो इसे डॉक्युमेंट कर उससे संबंध विच्छेद (डिसेंगेजमेंट) कर लेना चाहिये।
f. इसके अलावा गुप्त रुप से, ऐसे विषय पर जितना संभव हो ऐसे प्रूफ साथ, इस संबंध मे डीएमसीसी को सूचना दे सकते है। (व्हिज़िल ब्लोइंग तंत्र के अंतर्गत, ई–मेल– *responsiblesupplychain@dmcc.ae*)

5. समुचित सिक्युरिटी की जरुरतों की निम्न प्रकार व्यवस्था करना:

a. परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की टैंपरिंग या चोरी से बचने के लिये पहचान किये जाने योग्य सील बंद सुरक्षा डिब्बों का प्रयोग करना चाहिये
b. जब तक शिपमेंट का वेरीफिकेशन न हो जाये इसे फिजिकल रुप से अलग–अलग रखना चाहिये
c. किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत ही उच्च प्रबंधन या समर्पित अनुपालन अधिकारी (सप्लाई चेन ऑफिसर) को देनी चाहिये
d. यदि एक ही सप्लायर के साथ यह घटना बार–बार हो तो इसे लिखित मे रखकर उससे संबंध विच्छेद (डिसेंगेजमेंट) कर लेना चाहिये
e. इस बात की पुख्ता जानकारी रखनी चाहिये कि शिपमेंट की परख करने वाला पूर्णतः स्वतंत्र है तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से खरीदार या विक्रेता से संबंधित न हो

6. रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस मे शामिल सभी व्यक्तियों को जरुरी प्रशिक्षण की व्यवस्था:

सप्लाई चेन के प्रतिभागियों के साथ संलग्न रहे कर्मचारियों को उनकी जॉब प्रोफाइल तथा लेवल ऑफ रिस्क के अनुरुप ट्रेनिंग दिया जाना चाहिये। नये कर्मचारियों को नियमित रुप से तथा पुराने कर्मचारियों को रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग दिया जाना चाहिये।

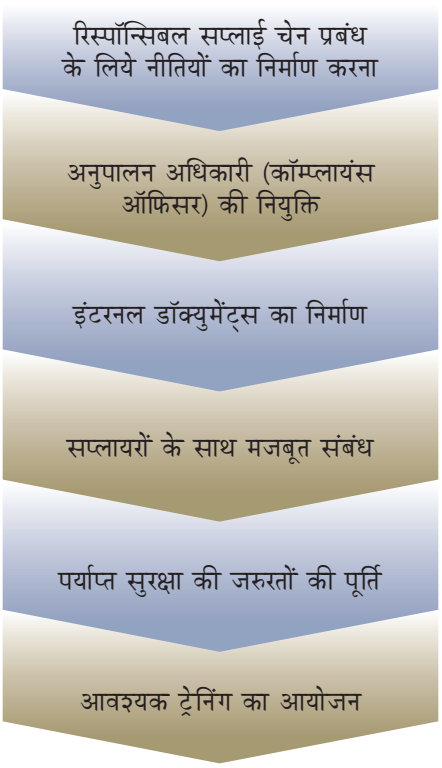

Step-2: सप्लाई चेन से संबद्ध रिस्क की पहचान एवं आंकलन

उद्देश्य: सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं के निर्माण, वितरण, परिवहन, निर्यात या/और क्रय से संबंधित रिस्क की पहचान तथा उनका आंकलन करने के लिये सोने तथा बहुमूल्य धातुओं के सप्लाई चेन मे शामिल कंपनियों को मजबूत प्रबंध प्रणाली, जिसका निर्माण पहले कदम (स्तेप १) मे किया है, का उपयोग करना चाहिये।

सप्लाई चेन मे शामिल प्रत्येक प्रतिभागियों, जिनमे खदान (सोने व बहुमूल्य धातुओं के खनन) से लेकर कंपनियों जैसे सप्लायरों, निर्यातकों तथा परिवहनकर्ताओं (खान से प्राप्त/पुनःचक्रित सोना व बहुमूल्य धातु) पर जोखिम–आधारित पद्धति (रिस्क बेस एप्रोच) अनुसार रिस्क का आंकलन निम्न प्रकार से किया जाना चाहिये।

1. रिस्क आंकलन प्रक्रिया के दौरान ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें निम्न प्रकार से है:

1.1 सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं का भौगोलिक स्थान या जगह

a. ओरीजिन तथा परिवहन
b. सरकारी नियंत्रण व सुपरविजन का स्तर
c. देश मे नगद लेन–देन के उपयोग की सीमा
d. आंतरिक विवाद/संघर्ष या मानव अधिकार हनन का स्तर
e. पेमेंट सिस्टम का उपयोग (औपचारिक बैंकिंग या अनौपचारिक प्रणाली जैसे कि हवाला)
f. अपराधिक संगठनों की भागीदारी का स्तर
g. हाई रिस्क वाले व्यवसायों का स्तर (जैसे गेमिंग, केसिनो इत्यादि)
h. सप्लायर देश का नजदीक के बाजारों या प्रोसेसिंग सेंटर, जो कि कॉन्फ्लिक्टेट या हाई रिस्क घोषित है, तक पहुंच या एक्सेस
i. महत्वपूर्ण आपरधिक गतिविधियों के नियंत्रण/शमन मे लागू कानून व्यवस्था का स्तर
j. देश या उस देश के व्यक्तियों/संस्था के खिलाफ लगाये गये प्रतिबंध तथा/या व्यापार रोक का अस्तित्व

1.2 सप्लाई चेन के प्रतिभागी/प्रतिपक्षियों (काउंटर पार्टी) से संबद्ध:

a. कंपनी के सप्लायरों के ग्राहक पहचान विवरण (केवॉयसी), जैसा पहले कदम मे निर्देशित है, मे सोने व बहुमूल्य धातुओं के ओरीजिन तथा परिवहन से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित होनी चाहिये
b. पूरे सप्लाई चेन मे किसी भी पहलु पर रेड–फ्लैग (नीचे बिंदु क्र, २ मे इसका विस्तृत विवरण दिया गया है)
c. सप्लायरों की संख्या, जैसे ज्यादा संख्या मे सप्लायर हाई रिस्क
d. काउंटर पार्टी द्वारा अपने सप्लायरों के उपर नियंत्रण का स्तर
e. काउंटर पार्टी पर किये जा रहे ड्यु–डिलिजेंस प्रक्रिया की सार्थकता
f. क्या काउंटर पार्टी पर ड्यु–डिलिजेंस की ऑडिट तीसरे पक्ष की काबिल ऑडिटर द्वारा किया जा रहा है
g. काउंटर पार्टी कितने समय के दौरान से सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं के व्यापार मे है (अधिक समय कम रिस्क)
h. व्यापार के हितग्राही मालिकों का किसी भी प्रकार के इंडिकेशन तथा/या डिस्क्लोजर से परे रहना
i. मध्यस्थ तीसरे पक्ष जैसे कि वकील, एकाउंटेंट इत्यादि द्वारा गुमनामी की मांग
j. सप्लायर के खनन क्षमता (माइनिंग कैपेसिटी) का पैमाना (यदि लागू हो)
k. राजनैतिक स्तर पर जाहिर ऐसे व्यक्ति जिन्हे प्रमुख सार्वजनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया या हो या वे व्यक्ति जिनका संबंध ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों से हो

1.3 लेन–देन/ ट्रान्जेक्शन:

a. ड्यु–डिलिजेंस कारोबार की कीमत या वैल्यु के आनुपातिक होना चाहिये।
b. सोने तथा अन्य बहुमूल्य धातुयें जिनका ट्रांजिशन या/तथा निर्यात हुआ है लेकिन उसकी घोषणा अनुरुप उसके ओरीजिन से नही मेल खाता हो
c. सप्लाई चेन मे अनएक्सप्लेंड/अस्पष्ट भौगोलिक दूरियां
d. पिघले या गले हुये रिसाइकलेबल सोने व बहुमूल्य धातुओं मे अप्रसंस्कृत/अनप्रोसेस्ड सोने व बहुमूल्य धातुओं की अपेक्षा हाई रिस्की होता है।
e. सोने व बहुमूल्य धातुओं की सांद्रता (कॉन्सन्ट्रेशन) का स्तर
f. असमान्य परिस्थितियां जो कि स्थानीय प्रणाली या प्रथा (लोकल प्रैक्टिस) के विपरित हो (मात्रा, क्वालिटी, निहीत लाभ इत्यादि)
g. सरकारी सीमा रेखा/थ्रेशहोल्ड से अधिक नगदी का प्रयोग
h. नगद भुगतान तथा/या अनरिलेटेड थर्ड पार्टी को फिजिकल डिलीवरी
i. सरकारी सीमा रेखा से परहेज के लिये ऐसी भुगतान संरचना जिनमे छोटे किंतु मल्टिपल ट्रान्जेक्शन शामिल हो

2. सभी रेड फ्लैग वाले जगहों/स्थानों तथा सप्लायरों की विस्तृत विवेचना इस प्रकार से हो

2.1 सोने व बहुमूल्य धातुओं के ओरीजिन तथा परिवहन से संबद्ध स्थान पर आधारित रेड फ्लैग निम्न प्रकार से है:

a. सोना व अन्य बहुमूल्य धातुओं का ओरीजिन या परिवहन कॉन्फ्लिक्ट जोन से हुआ हो
b. सोने व बहुमूल्य धातु जो कि किसी ऐसे देश का होने का दावा करे जहां का विदित स्टॉक या रिजर्व सीमित हो, सोना व अन्य बहुमूल्य धातुओं का रिसोर्स या अनुमानित उत्पादन स्तर (जैसे किसी देश द्वारा घोषित सोना व अन्य बहुमूल्य धातुओं की मात्रा जो कि विदित रिजर्व तथा/या अनुमानित उत्पादन से ज्यादा हो)
c. सोना व अन्य बहुमूल्य धातुयें जिसका कि ओरीजिन रिसाइकलेबल/स्क्रैप या मिश्रित स्वरुप से हुआ है लेकिन इसकी रिफायनिंग ऐसे देश मे की गयी है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड या हाई रिस्क जोन घोषित हो या ऐसे संदिग्ध क्षेत्रों से गुजरा हो)

उपरोक्त सभी रेड फ्लैग वाले स्थानों पर आधारित बिंदुओं की विवेचना मे रिस्क उस देश या स्थान के लिये बढ़ जाती है जहां काले धन से संबंधित कानून, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, सीमा–शुल्क नियंत्रण तथा अन्य सरकारी कानूनों का पालन कमजोर होता है तथा जहां अनौपचारिक बैंकिंग प्रणाली व नगद से ज्यादा व्यवहार होते है।

2.2 सप्लायर पर अधारित रेड फ्लैग:

a. सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं के सप्लायर या अन्य बड़ी स्तर की कंपनियां ऐसे जगह से व्यापार करती है जो कि रेड फ्लैग घोषित हो या इन कंपनियो के शेयरहोल्डर का उपरोक्त पंक्ति मे दर्शाये सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं के ओरीजिन तथा परिवहन पर आधारित रेड फ्लैग क्षेत्र के सप्लायरों से संबद्ध हो।
b. ऐसे सप्लायर या अन्य विदित बड़ी स्तर की कंपनियां जिनके बारे मे यह ज्ञात हो कि इन्होने पिछले १२ माह के दौरान रेड फ्लैग घोषित क्षेत्र से सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति की है या इनका परिवहन किया है।

2.3 परिस्थिति पर आधारित रेड फ्लैग:

a. दूसरे चरण (स्टेप २) पर पायी गयी विसंगतियां तथा असमान्य परिस्थितियां इस बात की शंका पैदा करतीं है कि सोना व अन्य बहुमूल्य धातुयें संघर्ष करने के लिये योगदान के काम आयी होंगी या इनकी निकासी, परिवहन तथा/या व्यापार मे तय नियमों का गंभीर दुरुपयोग हुआ है।

3. रेड फ्लैग सप्लायरों के साथ व्यापार की शुरुवात करने के पूर्व विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है जिसके लिये नीचे दी गयी कुछ या सभी रिसर्च मेथड रिस्क असेसमेंट के परिणाम तथा उचित लागत–लाभ विश्लेषण (कॉस्ट–बेनिफिट) मे पहचाने गये रिस्क के स्तर के आधार पर शामिल हो सकती है:

3.1 डेस्क रिसर्च:

a. सप्लाई चेन से संबद्ध प्रत्येक कंपनियों की पहचान
b. सप्लाई चेन से संबद्ध सभी कंपनियों से लाभ प्राप्त करने वाले मालिक की पहचान
c. सप्लाई चेन से संबद्ध प्रत्येक कंपनियों से उनकी वित्तीय जानकारी का एकत्रिकरण
d. सप्लाई चेन मे शामिल प्रत्येक कंपनियों के पास आवश्यक लाइसेंस तथा अनुमति की सुनिश्चित करना
e. सप्लाई चेन मे शामिल प्रत्येक कंपनियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या व्यापारिक रोक की सूची मे शामिल नही होना सुनिश्चित करना

3.2 परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं से संबद्ध जानकारी एकत्रित करने तथा उसे कायम रखने के लिये सोने व मूल्यवान धातुओं के सप्लायरों के स्थल का दौरा करने तथा/ या स्वतंत्र या संयुक्त रुप से वास्तविक मूल्यांकन (ऑन–ग्राउंड असेसमेंट) हेतु टीम का गठन निम्न क्रिया कलापों के लिये हो सकता है

a. सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं का एक्सट्रैक्शन (खदानों तक पहुंच, खनन क्षमता तथा खदानों से उत्पादन का परीक्षण तथा विसंगतियां)
b. सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं का प्रोसेसिंग (समेकन/कन्सॉलिडेशन, सम्मिश्रण/ब्लेंडिंग, पेराई/क्रशिंग, मिलिंग, गलाई, रिफायनिंग इत्यादि, और इस प्रोसेसिंग तथा/या उत्पादन तथा उपरिक्त क्रियाओं को करने हेतु उपलब्ध साधन की क्षमता का आंकलन एवं विसंगतियों की रिकॉर्डिंग)
c. सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं की हैंडलिंग (ट्रांस–शिपमेंट, इन्वेन्टरी, रीलेबलिंग इत्यादि)
d. सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं का परिवहन
e. ट्रेडिंग (आयात व निर्यात शामिल)
f. उपरोक्त क्रियाओं मे उपयोग की गयी सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं का वजन तथा परखी गयी गुणवत्ता की विशेषतायें

3.3 सभी लेन–देन के रिकॉर्डों का बे–क्रम नमूना (रैंडम सैंपलिंग) परीक्षण

a. रिस्क कम करने की प्रक्रिया का कम से कम साल मे एक बार तथा/या किसी संबद्ध परिस्थितियों मे परिवर्तन की दशा मे नवीनीकरण होना चाहिये

Step-3 रिस्क नियंत्रण की योजना का निर्माण तथा कार्यान्वयन

उद्देश्य: किसी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये पहचाने रिस्क पर नियंत्रण

1. ऐसी नीतियों तथा प्रक्रियाओं का निर्माण करना जिसमे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन प्रबंध के आम सिद्धांतों, स्टैंडर्ड तथा प्रक्रियाओं का समावेश हो। नीति मे निम्न बातें शामिल होनी चाहिये:

    a. पहचाने गये या पाये गये रिस्क की सूचना कंपनी के वरिष्ठ तथा संबद्ध अनुपालन अधिकारी या सप्लाई चेन अधिकारी तक पहुंचाने की व्यवस्था
    b. चेन ऑफ कॅस्टडी तथा/या रेड फ्लैग सप्लाई चेन की पहचान प्रणाली की स्थापना के माध्यम से सप्लायरों के साथ संबंध बढ़ाना
    c. पिछले कदम १ के बिंदु क्रमांक ५ मे उल्लेखित कथनानुसार भौतिक सुरक्षा की कार्य प्रणाली को बढ़ाना
    d. रेड फ्लैग क्षेत्रों से आये शिपमेंट को अलग–अलग तथा सुरक्षित रखना
    e. रेड फ्लैग सप्लायरों पर जब तथा जैसी जरुरत के अनुसार अतिरिक्त परिक्षण करने का अधिकार शामिल करना
    f. रिस्क नियंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान भी व्यापारिक गतिविधियों को चलने देना जैसे–
        i. सप्लाई चेन के ऐसे प्रतिभागी जो ज्यादा अच्छी तरह तथा सीधे तौर पर जोखिम मे कमी कर सकते है उनसे लाभ उठाना तथा/या अन्य प्रतिभागियों की अपेक्षा ढील देना
        ii. रिस्क मे कमी लाने की प्रक्रिया के दौरान रेड फ्लैग सप्लायरों के साथ अस्थायी तौर पर लेन–देन बंद करना
        iii. रेड फ्लैग सप्लायर जो रिस्क मिटीगेशन कंट्रोल का पालन करने मे असक्षम हो उनके साथ संबंध विच्छेद करना चाहिये, यदि ऐसी नियंत्रण प्रणाली लागत–लाभ विश्लेषण के लिहाज से असंगत हो या स्वीकार करने योग्य न हो तथा/या कंपनी ड्यु–डिलीजेंस करने मे असमर्थ हो उस दशा मे भी व्यापारिक संबंध विच्छेद कर लेना चाहिये।

रिस्क लेवल	नियंत्रण तंत्र
न्यून	व्यापार की शुरुवात या व्यापार करना जारी रख स्कते है
मध्यम	पहचान किये गये रिस्क को नियंत्रित करने की प्रक्रिया करते हुये व्यापार की शुरुवात या व्यापार करना जारी रख सकते है
उच्च	व्यापारिक व्यवहार निलंबित करें यद्यपि अतिरिक्त जानकारी तथा आंकड़े प्राप्त कर पहचान किये गये जोखिमों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया करते हुये प्रतिकूल जोखिम के आंकलन के आधार पर इसकी पुष्टि या खंडन करें या रेड फ्लैग कंपनियों तथा/या रिस्क वाले सोर्स को व्यापार से अलग करें

Step-4 सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं की सप्लायर कंपनी की ड्यु–डिलिजेंस प्रणाली का स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट करना

उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं की कंपनी द्वारा डीएमसीसी गाइडेंस के मानकों का स्थायी तौर पर पालन हो रहा है।

1. ऑडिटर द्वारा सत्यापित/प्रमाणित किये जाने वाले प्रमुख पहलुयें:

   a. डीएमसीसी गाइडलाइन्स के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नीतियों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता
   b. जोखिम को कम करने के लिये पर्याप्त आंतरिक व बाह्य नियंत्रण
   c. सप्लाई चेन मे सभी प्रतिभागियों के साथ संचार के दौरान डीएमसीसी गाइडलाइन्स का सुनिश्चित अनुपालन
   d. चेन ऑफ कॅस्टडी तथा सभी क्रिया कलापों की जानकारियों का पता लग पाने की व्यवस्था
   e. रिस्क आधारित पद्धति (रिस्क बेस एप्रोच) के आधार पर रिस्क का मूल्यांकन करते रहना तथा इसके परिणाम पर अतिशीघ्र जवाबी कार्यवाही करना

2. सोने व अन्य बहुमूल्य धातुओं की कंपनी के ऑडिट करने वाले पक्ष मे निम्न गुण होने चाहिये:

a. ऑडिट की जाने वाली कंपनी से पूर्णतः स्वतंत्र
b. ऑडिटर तथा ऑडिटी (कंपनी जिसका ऑडिट किया जा रहा है) के बीच कॉन्फिक्ट–ऑफ–इन्ट्रेस्ट ना हो (किसी प्रकार का परस्पर व्यापारिक या वित्तीय संबंध ना हो)
c. सामान्य गाइडेंस के अलावा ड्यु– डिलिजेंस से संबंधित कोई अन्य कार्य उस कंपनी के लिये नही किया गया हो
d. इस प्रकार की ऑडिट करने मे सक्षम/योग्य हो

3. ऑडिट प्रक्रिया के भाग के रुप मे साथ चलने वाली प्रक्रियाएं निम्न प्रकार से है:

a. ऑडिट की तैयारी– ऑडिट की योजना का विकास
b. स्थान/जगह मे जाकर छानबीन (ऑन–साइट इन्वेस्टिगेशन), जिनमे निम्न–
   i. कंपनी की संसाधन/सुविधायें, तथा
   ii. कंपनी की सप्लायरों की सूची, शामिल है।
c. कंपनी के रिस्क की विवेचना करने वाली टीम के साथ कन्सल्टेशन
d. ऑडिट का परिणाम– कंपनी के सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस मे पाये गये ऐसे तथ्यों का जो डीएमसीसी गाइडेंस के अनुरुप होना दर्शाते है उसे वैलिडेट, रिपोर्ट तथा डॉक्युमेंट करना।
e. कंपनी के ड्यु–डिलिजेंस प्रणाली मे सुधार के लिये सिफारिश प्रदान करना
f. कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट मे सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस ऑडिट का सारांश शामिल करना

4. कंपनी द्वारा रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस के लिये डीएमसीसी गाइडेंस पर आधारित ऑडिट का क्रियान्वयन:

a. डीएमसीसी गाइडेंस के अनुरुप ऑडिट स्टैंडर्ड का फ्रेमवर्क बनाना
b. ऑडिट के लिये ऑडीटिंग पार्टी का चयन या नियुक्ति
c. ऑडीटिंग पार्टी से साथ पूर्णतः सहयोग करना तथा उनके कार्य पर नजर रखना
d. ऑडीटिंग पार्टी द्वारा दिये गये सभी सिफारिशों को अमल मे लाना
e. वार्षिक रिपोर्ट के साथ सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस ऑडिट का सारांश प्रकाशित करना

Step-5 रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस पर सालाना रिपोर्टिंग

उद्देश्य: रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन ड्यु–डिलिजेंस का सार्वजनिक रिपोर्ट बनाकर उसे सामान्य जनता तक पहुंचाना ताकि यह विश्वास पैदा हो कि कंपनी द्वारा ऐसी प्रक्रिया लागू की गयी है।

Sponsored By

Almas Tower, Jumeirah Lakes Towers, PO Box 48800, Dubai, UAE | T +971 4 424 9600 | F +971 4 390 3897
E-mail: responsiblesupplychain@dmcc.ae, www.dmcc.ae